न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 26/2019 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. किशोर सिंह शेखावत पुत्र श्री भगवान सिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी 72, शिवपुरी, आर्य नगर, मुरलीपुरा जयपुर ।
2. विनोद कंवर पत्नी श्री किशोर सिंह जाति राजपूत निवासी 72, शिवपुरी, आर्य नगर, मुरलीपुरा, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

3. भवानी कंवर पत्नी स्व॰ श्री हिम्मत सिंह जाति राजपूत निवासी प्लाट नं 72, शिवपुरी, आर्य नगर, पोस्ट आफिस मुरलीपुरा, पुलिस थाना मुरलीपुरा हाल निवासी प्लाट नं॰ 54,गोविन्द नगर – 7 बेनाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 07.10.2019 उपखण्ड अधिकारी आमेर के प्रकरण संख्या 05/2019 ब उनवानी किशोर सिंह बनाम भवानी कंवर ।

उपस्थितः–

1. अपीलार्थी स्वयं उपस्थित है ।
2. प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

निर्णय दिनांक 14.12.2020

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी आमेर के प्रकरण संख्या 05/2019 ब उनवानी किशोर सिंह बनाम भवानी कंवर में पारित निर्णय दिनांक 07.10.2019 के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किये गये । प्रत्यर्थी स्वयं उपस्थित हुई । तहत रिकार्ड तलब किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस हेतु नियत दिनांक को प्रत्यर्थी भवानी कंवर उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी किशोर सिंह उपस्थित है।
3. बहस एक पक्षीय अपीलान्ट की सुनी गई।
4. अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थीगण बुजुर्ग दम्पत्ति है तथा सादा जीवन उच्च विचारों के आधार पर जीवन यापन कर रहे।

अपीलार्थीगण की शादी से उन्हें दो पुत्र व एक पुत्री की प्राप्ति हुई जो कि वर्तमान में अपीलार्थी के साथ ही उनके उपरोक्त निवास स्थान पर निवास करते आ रहे है। अपीलार्थीगण के पुत्र हिम्मत सिंह का चयन सन् 2003 में सी आर पी एफ में कांस्टेबल के पद पर हो गया था जिसके बाद हिम्मत सिंह का पदस्थापन झारखण्ड में 203 कोबरा केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल बरही हजारी बाग में किया गया। जहां पर कार्यरत रहते हुये हिम्मत सिंह दिनांक 14.06.2010 को शहीद हो गये। शहीद होने के उपरान्त अपीलार्थीगण के परिवाजन को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा मुआवजे के तौर पर सहायता राशि व हिम्मत सिंह की विधवा को राज्य सरकार द्वारा कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। अपीलार्थीगण के जीवन निर्वाह का मुख्य स्त्रोत अपीलार्थीगण का पुत्र हिम्मत सिंह ही था। क्योंकि अपीलार्थीगण के पास आय का एक मात्र साधन आटा पीसने की चक्की है, जिसके द्वारा वह स्वयं अपने व अपने परिवारजन का पालन पोषण करता आ रहा है। हिम्मत सिंह की शहादत के बाद अपीलार्थीगण के परिवार के पास आय का कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं रहा। राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता राशि से अपीलार्थीगण को अपने वृद्वावस्था जीवन यापन की उम्मीद बंधी थी, किन्तु हिम्मत सिंह की विधवा श्रीमती भवानी कंवर द्वारा हिम्मत सिंह को मरणोपरान्त प्रदान की गई समस्त सहायता राशि स्वयं के उपयोग व उपभोग में ले ली। श्रीमती भवानी कंवर द्वारा इसी सहायता राशि से स्वयं के नाम से प्लाट संख्या 54 गोविन्द नगर–7, बेनाड रोड झोटवाडा जयपुर में क्रय किया गया और उसी सहायता राशि की मदद से सम्पूर्ण निर्माण करवा लिया तथा उक्त निर्मित मकान का आधा भाग किराये पर देकर किराये की सम्पूर्ण राशि स्वयं के पास रखने लग गई । शहीद हिम्मत सिंह को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता राशि के सन्दर्भ में कार्यालय कमाण्डेण्ड 203 कोबरा बटालियान केन्द्रीय पुलिस बल बरही हजारी बाग झारखण्ड से सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त सूचना के अनुसार शहीद हिम्मत सिंह की पत्नी को 9540/–रूपये पेन्शन प्रति माह व कुल राशि 41,60,004 प्राप्त हुई है । इसके अतिरिक्त भवानी कंवर को राज्य सरकार द्वारा कनिष्ठ लिपिक पद पर कलक्ट्रेट जयपुर में नियुक्ति दी गई है, किन्तु अपीलार्थीगण को दैनिक हर्जे खर्चे के रूप में एक पैसा भी नहीं देती है। अपीलार्थीगण को अपने खर्चे के लिए अपने दूसरे पुत्र श्रवण सिंह पर निर्भर रहना पडता है। वह भी आये दिन दोनों अपीलार्थीगण को ताना मारता रहता है कि उसके पास आय का एक मात्र स्त्रोत आटा पीसने की चक्की है। जिस पर काम धन्धा बिल्कुल नहीं होने का बहाना बनाता रहता है। अपीलार्थीगण बुजुर्ग होने के कारण काफी बीमारियों जैसे ब्लड प्रेशर व मधुमेह आदि व अपीलार्थी संख्या 2 कई वर्षो से दोनों घुटनों में दर्द रहता है जिसकी वजह से अपीलार्थी संख्या 2 का एक जगह पर कुछ देर खडा होना भी संभव नहीं हो पाता है। उचित देखरेख एवं दवाईयों के अभाव में अपीलार्थीगण अपना उचित ईलाज नहीं करवा पा रहे है। इसलिए अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष एक परिवाद पेश किया गया था, किन्तु अधीनस्थ अधिकरण ने मनमानी कार्यवाही करते हुये परिवाद खारिज फरमा दिया। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ अधिकरण का निर्णय निरस्त फरमाया जावे। प्रत्यर्थी को पाबन्द किया जावे की वह अपीलार्थीगण को उनके पुत्र हिम्मत सिंह को शहीद उपरान्त प्राप्त सहायता रशि से जो मकान निर्मित किया गया है उसमें रहवास करने से व उसका उपभोग या उपभोग करने से किसी भी प्रकार की कोई अडचन पैदा नहीं करे। अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थी भवानी कंवर से

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

20,000/–रूपया प्रति माह दिलवाये जावें । अपीलार्थीगण की समूचित चिकित्सा जांच व देख रेख कर उचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करावे। हिम्मत सिंह के शहीद होने के उपरान्त प्राप्त होने वाली पेन्शन राशि अपीलार्थीगण को दिलाई जावे तथा मकान से मिलने वाली किराया राशि में से आधी राशि अपीलार्थीगण को दिलाई जावे।

5. प्रत्यर्थी ने अपीलार्थीगण के तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अपीलार्थी आटे की चक्की व परचूनी की दुकान तथा मकान के किराये से आय अर्जित कर रहा है । सम्पत्ति और रूपयों के लालच के चलते यह अपील पेश की गई है। अपीलार्थीगण का बडा बेटा श्रवण सिंह शहीद हिम्मत सिंह की नौकरी लगने से पूर्व ही एक लोहे की कम्पनी में कुशलकर्ता के रूप में कार्य करता आ रहा है एवं अच्छी तनखा प्राप्त कर रहा है। अपीलार्थी किशोर सिंह व उसका बडा पुत्र श्रवण सिंह प्रारम्भ से ही पूरा घर संभालते आ रहे है तथा लगभग 50,000/–रूपये की आय अर्जित करते है। अपीलार्थीगण का यह कहना गलत है कि हिम्मत सिंह की शहादत के बाद अपीलार्थीगण के परिवार के पास आय कोई साधन उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता राशि एस वी आई शाखा विद्याधर नगर जयपुर भवानी कंवर के खाते में जमा हो गई थी। जिसका ए टी एम एवं उक्त खाते की चैक बुक अपीलार्थी किशोर सिंह अपने पास रखता था और समय समय पर उसमें जमा होने वाली राशि को निकाल कर अपने उपयोग उपभोग में लेता था। अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी को उसका बैंक ए टी एम वर्ष 2017 में पूरी राशि काम में लेने के बाद दे दिया था। अपीलार्थीगण व उसका बडा बेटा श्रवण सिंह सम्मलित रूप से रहते है । अपीलार्थी किशोर सिंह के दो मकान है जिसमें से एक मकान जैसा बोहरा की नांगल, दादी का फाटक झोटवाडा जयपुर में है, जिसमें प्रार्थी किशोर सिंह परचूनी की दुकान व आटे की चक्की का संचालन करता है। अपीलार्थी किशोर सिंह ने उक्त मकान के दो हिस्से कर रखे है ये मकान लगभग 400 वर्गगज का है । एक हिस्से में प्रार्थी का पुत्र श्रवणसिंह अपने माता पिता के साथ रहता है । इस हिस्से में ही अपीलार्थी की आटा चक्की व परचूनी की दुकान है। उक्त मकान का दूसरा हिस्सा जो कि लगभग 200 वर्गगज है, शहीद हिम्मत सिंह के हिस्से का है। उस पर अपीलार्थीगण ने किरायेदार रख रखे है। जिससे भी आय अर्जित हो रही है। इतनी लम्बी उम्र एवं अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी ने दूसरा विवाह कर लिया है, जबकि अपीलार्थीगण दूसरे विवाह के विरोध में थे। प्रतिरोध स्वरूप शादी नहीं होने देना चाहते थे। अपीलार्थीगण शहीद सैनिक के माता पिता होने से उनका समस्त ईलाज सैनिक अस्पताल में निः शुल्क होता है जिसका उन्हें कोई भुगतान नहीं करना पडता है। अपीलार्थीगण को सरकार द्वारा भरण पोषण सहायता राशि के रूप में 3,00,000/–रूपये प्राप्त हुये है। अपीलार्थीगण अब प्रत्यर्थी से किसी प्रकार की भरण पोषण राशि प्राप्त करने के अधिकारी नही है। ऐसी स्थिति में अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमाई जावे।

6. अपीलार्थी संख्या एक की बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया ।

7. अपीलार्थीगण प्रत्यर्थी श्रीमती भवानी कंवर के पति शहीद हिम्मत सिंह के माता पिता है। हिम्मत सिंह के शहीद होने पर माता पिता को नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा 3,00,000/–रूपये दिये जा चुके है। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त परिलाभ शहीद हिम्मत सिंह की पत्नी प्रत्यर्थी श्रीमती

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

भवानी कंवर को दिये गये है जो विधिक रूप से सही है। अपीलार्थीगण शहीद के माता पिता होने के कारण उनको निः शुल्क सरकारी चिकित्सा सेवाएं प्राप्त है। अपीलार्थीगण के पास आटा चक्की व परचूनी की दुकान भी है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थीगण के एक पुत्र के शहीद होने से दूसरे पुत्र व पुत्री द्वारा भरण पोषण का दायित्व बनता है, प्रत्यर्थी का नहीं । चूंकि प्रत्यर्थी द्वारा दूसरा विवाह कर लिया गया है। उभय पक्ष की दलीलें सुनने एवं सम्पूर्ण तथ्यों का अवलोकन करने पर हम अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं पाते है। फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

8. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्ष को निः शुल्क उपलब्ध कराई जावे। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी आमेर को आदेश की प्रति प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 14.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

14/12/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर